संदर्भःआईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/107/6/2022 दिनांकः1जून, 2022
Ref: IRDAI/NL/CIR/MISC/107/6/2022 Date: 1 June, 2022

परिपत्र
Circular

प्रति/To,
सभी साधारण बीमाकर्ता (स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को छोड़कर)
ALL GENERAL INSURERS (Others Than Stand Alone Health Insurers)

विषयः उत्पाद फाइलिंग प्रक्रिया
Re:Product Filling Procedure

1. वर्तमान में, साधारण बीमा उत्पादों की फाइलिंगों को 'संदर्भः सं. आईआरडीएआई/ एनएल/जीडीएल/एफएण्डयू/030/02/2016 दिनांक 18 फरवरी 2016 के द्वारा जारी किये गये साधारण बीमा उत्पादों के लिए उत्पाद फाइलिंग प्रक्रियाओं' संबंधी दिशानिर्देशों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

2. उत्पाद फाइलिंग प्रक्रियाओं के संबंधित उपबंध निम्नानुसार हैं :

क. उपर्युक्त दिशानिर्देशो के पैरा 7.2(I) के अनुसार, 'उक्त फाइल एण्ड यूज़ प्रक्रियाओं द्वारा अपेक्षित है कि उत्पादों का विपणन करने से पहले उन्हें आवश्यक रूप से प्राधिकरण के पास फाइल

किया जाए। सभी खुदरा उत्पाद (उनके आशोधनों सहित) प्राधिकरण के पास फाइल एण्ड यूज़ प्रक्रियाओं के अंतर्गत फाइल किये जाएँगे। तथापि, वाणिज्यिक ग्राहकों (जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, छोटी दूकानें और स्थापनाएँ, न्यासी, सहकारी सोसाइटियाँ आदि) के लिए प्रस्तावित वाणिज्यिक उत्पाद जो 5 करोड़ तक की बीमित राशि से युक्त हैं (अग्नि खंड की बीमित राशि से युक्त पैकेज पालिसियों के लिए) अथवा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित बीमित पालिसी राशि से युक्त हैं, फाइल एण्ड यूज़ प्रक्रियाओं के अंतर्गत फाइल किये जाएँगे'।

ख. वाणिज्यिक उत्पाद उपर्युक्त दिशानिर्देशों के पैरा 7.2 (III) के अनुसार यूज़ एण्ड फाइल प्रक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं।

3. साधारण बीमा उत्पादों के अभिकल्पन और कीमत-निर्धारण के तौर पर उभरते बाजार की आवश्यकताओं के प्रति अधिक तेजी से प्रतिक्रिया दर्शाने तथा साधारण बीमा व्यवसाय के संचालन में कार्यकुशलता का संवर्धन करने में उद्योग की सहायता करने के लिए, प्राधिकरण आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(i) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा साधारण बीमाकर्ताओं को दोनों खुदरा और वाणिज्यिक व्यवसाय की श्रेणियों के लिए यूज़ एण्ड फाइल प्रक्रिया के अधीन व्यवसाय की अग्नि (फायर), मरीन, मोटर और इंजीनियरिंग व्यवस्थाओं के अंतर्गत सभी उत्पाद फाइल करने की अनुमति देता है। तथापि, रु. 5 करोड़ तक प्रारंभिक बीमित राशि से युक्त व्यवसाय की विविध व्यवस्थाओं के खुदरा उत्पादों (वर्तमान उत्पादों के आशोधनों सहित) को प्राधिकरण के पास फाइल एण्ड यूज़ प्रक्रिया के अंतर्गत फाइल करना जारी रहेगा।

4. तदनुसार, साधारण बीमा उत्पादों के लिए उत्पाद फाइलिंग प्रक्रियाओं संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 7.2 (I) और 7.2 (III) को उपर्युक्त आशय (पैरा 3) हेतु आशोधित किया गया है।

5. 'साधारण बीमा उत्पादों के लिए उत्पाद फाइलिंग प्रक्रियाओं' संबंधी दिशानिर्देशों के सभी अन्य उपबंध और अपेक्षाएँ लागू रहेंगी।

6. यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

7. इस परिपत्र की प्रभावी तारीख से पहले प्राधिकरण के पास फाइल किये गये नये और उत्पादों / ऐड-आनों के संशोधनों का प्रसंस्करण वर्तमान उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

1. Currently, the filings of General Insurance Products are governed by the Guidelines on 'Product Filing Procedures for General Insurance products issued vide ref: no. IRDAI/NL/GDL/F&U/030/02/2016 dated 18th February, 2016.'.

2. The relevant provisions of product filing procedures are as under:

a. As per para

7.2 (I) of said guidelines, 'the File and Use Procedures require the products to be necessarily filed with the Authority before these are marketed. All Retail Products (including their modifications) shall be filed with the Authority under File and Use Procedures. However, the commercial products offered to commercial customers (such as Micro Small & Medium Enterprises, small shops and establishments, trustees, cooperative societies etc.,) with a policy Sum Insured up to 5 Crs (for package policies fire section Sum Insured) or as prescribed by the Authority from time to time shall be filed under File and Use Procedures'.

b. The Commercial Products shall fall under Use and File Procedures in terms of para 7.2 (III) of said guidelines.

3. In order to facilitate the industry to respond faster to the emerging market needs, in terms of designing and pricing of general insurance products and to promote efficiency in the conduct of general insurance business, the Authority, in exercise of the powers conferred under Section 14(2)(i) of IRDA Act, 1999 hereby permits the general insurers to file all products under Fire, Marine, Motor and Engineering lines of business under Use and File procedure for both Retail and Commercial categories. However, the Retail products of Miscellaneous lines of business (including modifications of current products) having initial sum insured upto Rs. 5 Crores shall continue to be filed with the Authority under the File and Use Procedure.

4. Accordingly, Para 7.2(I) and 7.2 (III) of Guidelines on Product Filing Procedures for General Insurance products stands modified to the above effect (Para 3).

5. All the other provisions and requirements of Guidelines on 'Product Filing Procedures for General Insurance products' shall remain applicable.

6. This circular shall come into force with immediate effect.

7. The new and revision of products / add-ons filed with the Authority prior to the effective date of this circular shall be processed as per the current provisions.

(अनीता जोसुला / Anita Josyula)
महाप्रबंधक /General Manager